भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1003

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक(

शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना

1003. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के अधिदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी आईटीआई प्रशिक्षकों को शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) प्रशिक्षित होना आवश्यक है;

(ख) कुल प्रशिक्षकों में से कितने प्रशिक्षकों ने उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर लिया है;

(ग) उक्त प्रशिक्षण अधिदेश के अनुपालन के लिए कुल प्रशिक्षकों और सीआईटीएस प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के बीच अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आईटीआई प्रशिक्षकों को सीआईटीएस प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक वातावरण बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या इसमें कोई वित्तीय या रसद सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

क. महोदय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश भर में विस्तृत लगभग 14,600 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) प्रचालित करता है। सीटीएस के अंतर्गत, राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) से सम्बद्ध 168 ट्रेडों/पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह स्कीम, विगत कुछ वर्षों में, उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी रही है।

डीजीटी शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस) भी प्रचालित करता है जो एक अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सीआईटीएस के अंतर्गत अनुदेशक प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक कौशल के साथ-साथ प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने हेतु व्यावहारिक कौशल हस्तांतरित करने की तकनीकों से परिचित कराया जा सके।

सीआईटीएस 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और 120 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) में चलाया जाता है। वर्तमान में, सीआईटीएस के अंतर्गत 55 राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ़) संरेखित पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। इन सीआईटीएस पाठ्यक्रमों को 82 शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) ट्रेडों के साथ मैप किया गया है।

देश भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए सीआईटीएस अर्हता अनिवार्य की गई है। निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए सीआईटीएस अर्हता अनिवार्य है:

1. ऐसे मामलों में जहां किसी सीआईटीएस योग्य उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त न होने या किसी अन्य कारण से सीआईटीएस योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, प्रासंगिक तकनीकी अर्हता वाले उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है।

2. यदि किसी उम्मीदवार के पास संबंधित स्ट्रीम में डिग्री/डिप्लोमा के अलावा सीआईटीएस अर्हता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को सीआईटीएस अर्हता न रखने वाले डिग्री/डिप्लोमा उम्मीदवारों की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

3. इस दिशा-निर्देश में यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि चयनित उम्मीदवार ने सीआईटीएस या किसी अन्य प्रकार का शिक्षण-शास्त्र का प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो उसे नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर शिक्षण-शास्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार (डिग्री/डिप्लोमा और राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र

(एनटीसी)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र (एनएसी) धारक) सीआईटीएस अर्हता के बिना उन ट्रेडों के लिए चुना गया है, जिनमें सीआईटीएस पाठ्यक्रम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षों के भीतर सीआईटीएस प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

अधिकांश राज्य सरकारों ने इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए इन्हें अपने राज्यों के शिल्प प्रशिक्षक/व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती नियमों में शामिल कर लिया है।

(ख) और (ग) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस) एक वर्षीय नियमित अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कौशल प्रदान करने के साथ-साथ प्रशिक्षण पद्धति भी प्रदान करना है, ताकि अनुदेशक प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के छात्रों को व्यावहारिक कौशल हस्तांतरित करने की तकनीकों से परिचित कराया जा सके। **विगत पांच वर्षों में सीआईटीएस के अंतर्गत कुल 45,025 प्रशिक्षुओं को प्रमाणित किया गया है।**

मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को कम करने के लिए, शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम-पूर्व शिक्षण मान्यता (सीआईटीएस-आरपीएल) स्कीम को न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवारत प्रशिक्षकों के प्रमाणन के लिए तैयार किया गया था। इसे प्रारम्भ में वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया था और अब इसे दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

सीआईटीएस-आरपीएल का उद्देश्य आईटीआई में काम करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवारत प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण-पत्र प्रदान करना है। सीआईटीएस-आरपीएल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उम्मीदवारों को राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण-पत्र (एनसीआईसी) जारी किया जाता है, जो पूर्णकालिक सीआईटीएस पाठ्यक्रम पूरा करने वाले नियमित प्रशिक्षुओं को जारी किए गए एनसीआईसी के बराबर है। **विगत पांच वर्षों में सीआईटीएस-आरपीएल के अंतर्गत कुल 11,236 प्रशिक्षकों को प्रमाणित किया गया है।**

(घ) सीआईटीएस-आरपीएल में प्रवेश लेने वाले सेवारत प्रशिक्षकों को वित्तीय या रसद सहायता का कोई प्रावधान नहीं है, यद्यपि सीआईटीएस-आरपीएल में प्रवेश के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है।

*****